

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क० 05/2017 अ०दी०

संस्थापित दिनांक 20.02.2017

1 लालकिशन पुत्र रामचरन, उम्र 36 वर्ष, निवासी  
ग्राम सिरसोदा, परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०  
.....अपीलार्थी / वादी

### बनाम

1 कटोरी बाई पत्नी रन्धीरसिंह, उम्र 56 वर्ष, निवासी  
ग्राम सिरसोदा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.  
2 म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड म.प्र.  
.....प्रतिअपीलार्थी / प्रतिवादी

अपीलार्थी द्वारा श्री जी०एस० निगम अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा श्री पी.एन.भटेले अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक **01-09-2017** को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/वादी के द्वारा वर्तमान अपील अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद, पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 174ए/2015 ई०दी० (लालकिशन वि० कटोरीबाई) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2017 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त किया गया है। आगे के पदों में अपीलार्थी वादी एवं प्रतिअपीलार्थी को प्रतिवादी के रूप में संबोधित किया जाएगा।

02. संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद इस प्रकार रहा है कि ग्राम सिरसोदा कॉलोनी गोहद में म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए

आवासहीन योजना के अंतर्गत आवासीय पट्टे प्रदान किए गए थे, जिसमें एक पट्टा मृतक रामस्वरूप को 900 वर्गफिट का तहसीलदार न्यायालय गोहद के प्र0कं0 23/87-89-ब-121 आदेश दिनांक 19.11.1988 द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 811 रकबा 0.65 हे0 से प्राप्त हुआ था। उक्त भूखण्ड पर रामस्वरूप व वादी द्वारा पक्का मकान बनाया जिसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम 30 फिट एवं उत्तर से दक्षिण 30 फिट है और जिसके उत्तर में धमसा मार्ग व दक्षिण में औतारसिंह का मकान, पूर्व में नारायण का मकान तथा पश्चिम में आम रास्ता है। मृतक रामस्वरूप वादी के साथ ही निवास करता था जिसकी मृत्यु दिनांक 09.07.14 को हो चुकी है। मृतक रामस्वरूप के बाबा धनीराम के पांच पुत्र आदिराम, बैजनाथ, मातादीन, रणधीर एवं रामचरन थे, जिसमें से आदिराम तथा बैजनाथ की मृत्यु अविवाहित रहने के दौरान हुई थी। मातादीन के दो पुत्र रामस्वरूप व अंगद थे तथा रामचरन का पुत्र वादी लालकिशन है तथा मृतक रणधीर की पत्नी कटोरीबाई प्रतिवादी क्रमांक 1 है। धनीराम के सभी पांचों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है एवं अंगद का कहीं पता नहीं चला है उसने सन्यास धारण कर लिया है। अतः मृतक रामस्वरूप का एकमात्र वारिस लालकिशन है। रामस्वरूप ने अपने जीवनकाल में कोई दानपत्र, बिक्रयपत्र, वसीयत इत्यादि नहीं की है, उसकी मृत्यु निर्वसीयत हुई है।

03. प्रतिवादिया अत्यन्त चालाक महिला है जो मृतक रामस्वरूप को दिनांक 24.06.14 को अति गरीबी रेखा का राशनकार्ड बनवाने तहसील न्यायालय में ले गई और धोखा देकर रामस्वरूप की इच्छा के विरुद्ध वसीयतनामा अपने हक में निष्पादित करा लिया। मृतक रामस्वरूप को जैसे ही उक्त संबंध में पता चला तो वह बीमार हो गए और चलने फिरने में असमर्थ हो गए तब उसने दिनांक 29.06.14 को गांव में पंच सरपंच आदि लोगों को बुलाया और पंचनामा लिखकर कहा कि वह विवादित मकान लालकिशन को दे रहा है। दिनांक 09.07.14 को रामस्वरूप की मृत्यु हो गई और सभी धार्मिक कर्मकांड वादी लालकिशन के द्वारा किए गए। दिनांक 24.08.14 को प्रतिवादी कटोरी वाई ने धमकी और वादग्रस्त मकान में रहने को कहा था, जबकि वादी वादग्रस्त मकान का एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है उसे उक्त मकान का स्वत्व व आधिपत्यधारी घोषित करने एवं वसीयतनामा दिनांक 24-06-2014 को शून्य घोषित करने एवं प्रतिवादी को स्थाई रूप से निषेधित करने बावत् वादी द्वारा निवेदन किया गया।

04. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अभिकथित प्राक्कथनों से प्रत्याख्यान करते हुए विशेष कथनों में यह आधार लिया है कि आवासहीन योजना के अंतर्गत प्रतिवादिया के भतीजे रामस्वरूप को आवासीय पट्टा दिया गया था तब रामस्वरूप ने उक्त प्लॉट पर मकान बनवाया था। वह रामस्वरूप की चाची है और वह उसके साथ विवादित मकान में निवास करती थी, जबकि वादी अपने चारों भाईयों के साथ ग्राम सिरसोदा में पुराने मकान में निवास कर रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 बिना पढीलखी ग्रामीण महिला है। दिनांक 24.06.2014 को मृतक रामस्वरूप ने स्वेच्छया से विवादित मकान का वसीयतनामा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में लिखवाया है। वादी लालकिशन कभी भी मृतक के साथ नहीं रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में मृतक रामस्वरूप ने विधिवत वसीयतनामा निष्पादित किया है जिसके आधार पर वह उक्त मकान की एकमात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, साक्षियों का परीक्षण कराया गया है एवं दस्तावेज प्रमाणित कराये गये हैं। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने गुण-दोष पर निराकरण करते हुये उक्तानुसार वादी की ओर से प्रस्तुत दावा प्रमाणित होना न पाते हुए वादी का निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

06. अपीलार्थी/वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने, प्रस्तुत किये गये दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं कर वाद विषयों का सही निष्कर्ष नहीं निकालने में त्रुटि किये जाने एवं एवं आलोच्य आदेश उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

07. प्रत्यर्थी/वादी की ओर से आलोच्य निर्णय को विधि एवं साक्ष्य के अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

08. अपील याचिका पर अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री जी0एस0 गुर्जर तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एन. भट्टे को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क0 174ए/2015 ई0दी0 (लालकिशन वि0 कटोरी बाई) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2017 एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

09. अपील प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

|     |  |
|-----|--|
| 01. | क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क0 174ए/2015 ई0दी0 (लालकिशन वि0 कटोरी बाई) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2017 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है? |
| 02. | क्या अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है ?  |
| 03. | क्या अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है?   |

### ॥ सकारण निष्कर्ष ॥

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में पंचनामा होने के पश्चात् भी विचारण न्यायालय ने तथ्यों को न मानने में त्रुटि की है। साथ ही इन तर्कों पर भी बल दिया है कि प्रतिवादी द्वारा वसीयत प्रस्तुत न करने के बाद भी वादी के वाद को निरस्त किये जाने में त्रुटि की है।

11. प्रकरण में इस तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है और इस संबंध में वादी साक्षी लालकिशन वा0सा0 1, केशवसिंह वा0सा0 2 तथा प्रतिवादी साक्षी कटोरी बाई प्र0सा0 1 के कथन भी रहे हैं कि म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवासहीन व्यक्तियों को 30-30 वर्गफिट के पट्टे दिए गए थे, जिसमें से तहसीलदार गोहद के द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/88-89-बी-121 में पारित आदेश दिनांक 19.01.1988 के सर्वे क्रमांक 811 में से एक पट्टा रामस्वरूप पुत्र मातादीन को दिया गया था।

12. वादी का प्रमुख आधार यह है कि मृतक रामस्वरूप और वादी साथ रहते थे तथा दोनों

ने मेहनत से मकान तैयार किया था और अंतिम समय रामस्वरूप वादग्रस्त मकान को वादी को देकर गया था। इस संबंध में वादी की ओर से प्र.पी. 3 का पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रतिवादिया का आधार यह है कि रामस्वरूप उसके साथ रहता था, क्योंकि वह विधवा है और रामस्वरूप ही उसकी देखरेख करता था और रामस्वरूप ने अपने अंतिम समय में विधिवत मकान का वसीयतनामा पंजीयन कार्यालय में जाकर पंजीयन कराया था।

13. स्वीकृत रूप से रामस्वरूप द्वारा कटोरी बाई के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. जहाँ तक यदि वादिया की ओर से लिए गए आधार के संबंध में यदि वादी साक्षी के कथनों का अवलोकन किया जाए तो वादी की ओर से प्रमुख रूप से प्र.पी. 3 के पंचनामा पर निर्भरता व्यक्त की गई है और उक्त पंचनामा के साक्षी केशवसिंह वा0सा0 2 का परीक्षण कराया गया है। इस साक्षी ने प्र.पी. 3 के पंचनामा को प्रमाणित नहीं किया है और न ही वादी की ओर से प्र.पी. 3 के पंचनामा का कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है।

15. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि वादी स्वयं यह आधार लेकर आया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 कटोरी बाई चालाक किस्म की महिला है और उसने छल से रामस्वरूप से राशनकार्ड बनवाने का बोलकर वसीयतनामा अपने हक में निष्पादित करा लिया है। इसी तथ्य को वादी साक्षी केशवसिंह वा0सा0 2 ने भी अभिकथित किया है। स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य होती है। वादी वसीयतनामे के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ऐसी स्थिति में जहाँ कि वादी यह आधार लेता है कि वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, किन्तु रामस्वरूप द्वारा बिना लिखापट्टी के छल से निष्पादित किया गया था, वहाँ इस तथ्य को सावित करने का भार वादी पर है।

16. साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 सबूत का भार किस पर होता है के संबंध में यह प्रावधान करती है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए। धारा के साथ संलग्न दृष्टांत (ख) प्रश्नगत वाद में स्पष्टतः लागू होता है जो कि यह प्रावधान करता है कि जहाँ बंधपत्र का निष्पादन स्वीकृत है, किन्तु



‘ख’ यह कहता है कि वह कपट द्वारा प्राप्त किया गया था जिस बात का ‘क’ तत्पाखान करता है, वहाँ पर दोनों में से किसी की ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए तो ‘क’ सफल होगा, क्योंकि बंधपत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट सावित नहीं किया गया है।

17. हस्तगत प्रकरण में भी परिस्थितियों साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के दृष्टांत (ख) के समान है, क्योंकि वादी द्वारा रामस्वरूप द्वारा कटोरी बाई के पक्ष में वसीयत का निष्पादन स्वीकार किया गया है और आधार यह लिया है कि वह छल द्वारा कराया गया था, किन्तु वादी की ओर से ऐसा कोई छल सावित नहीं किया गया है।

18. प्रकरण के अन्य तथ्यों के संबंध में साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो वादी स्वयं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिनांक 24.06.2014 को रामस्वरूप ने जीवित रहते हुए कटोरी बाई के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था। यदि इस संबंध में साक्षी केशवसिंह वा0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने कथनों के विपरीत एवं वादी की ओर से लिए गए आधार के विपरीत इस आशय के कथन किए हैं कि कटोरी बाई विधवा थी इसलिए वह रामस्वरूप के साथ रहती थी। रामस्वरूप ने पट्टे की जमीन पर जो मकान बनाया था उसमें रामस्वरूप कटोरी बाई के साथ रहता था और रामस्वरूप मरने के पहले कटोरी बाई को मकान वसीयत कर गए थे। साथ ही आश्चर्यजनक रूप से यह तथ्य को स्वीकार किया है कि वादी लालकिशन रामस्वरूप का मकान हड़पना चाहता है।

19. यह सुस्थापित विधि है कि जहाँ वादी यह चाहता है कि उसकी ओर से प्रख्यात किए गए अभिवचनों को सत्य मानकर उसे सहायता प्रदान की जाए तब उसे बांछित सहायता प्राप्त करने के लिए उन तथ्यों का अस्तित्व सावित किया जाना होगा। प्रश्नगत प्रकरण में वादी ने रामस्वरूप के एक मात्र उत्तराधिकारी होना तथा साथ रहने एवं मकान उसे देने के आधार पर वादग्रस्त मकान की स्वत्व घोषणा चाही है, किन्तु वादी लालकिशन ने ही अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह चार भाई हैं। केशव, सतीश, सुजान और वह स्वयं, किन्तु प्रकरण में उक्त भाईयों को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। वादी साक्षियों के कथनों में यह तथ्य आया है कि मरने के पूर्व रामस्वरूप कटोरी बाई के

साथ रहता था तथा रामस्वरूप ने कटोरीबाई के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया था। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य से वादी अपनी ओर से लिए गए आधार प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

20. वादी/अपीलार्थी की ओर से एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादी की ओर से वसीयतनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि गुम गई थी जो अब प्रस्तुत की जा रही है जिसे साक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जावे। किन्तु प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी/अपीलार्थी की ओर से केवल वसीयतनामे की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही अपीलार्थी की ओर से इस बात का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है कि विचारण न्यायालय में साक्ष्य अभिलिखित करने के दौरान नई प्रमाणित प्रतिलिपि क्यों प्राप्त नहीं की गई। वैसे भी प्रकरण में वसीयतनामा निष्पादित होने पर विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

21. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को निरस्त किये जाने का जो निष्कर्ष निकाला है वह साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित होकर विधि के मान्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें अपीलार्थी की शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

22. परिणामतः वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

23. प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा या सूची अनुसार जो भी कम हो आज्ञाप्ति में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)